Class – B.Com II
Subject – MFI
Paper – IV (S)
Topic IDBI
Lecture — 17
By Dr. C P Sahu Marwari College, Darbhanga.

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

(Industrial Development Bank of India) (IDBI) ①

भारत में औद्योगिक विकास की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए तथा औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाले संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 July 1964 को की गई प्रारम्भ में इसने रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप कार्य किया 1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक रिजर्व बैंक से अलग कर दिया तथा इसका स्वामित्व भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया

वित्तीय साधन - मई 1980 में इस बैंक की अधिकृत पूंजी 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दी गयी। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार से ऋण, रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय ऋण निधि से लिये जाने वाले ऋण तथा बाजार में निर्गत किये गये बॉन्ड आदि

कार्य क्षेत्र :- ① औद्योगिक संस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता देना

② **औद्योगिक ऋणों के पुनर्वित्त** - किसी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने के बाद उसके ऋणों को पुनर्वित्त की व्यवस्था करना इस बैंक का महत्वपूर्ण कार्य हो गया है।

③ **मूल पूँजी योजना** - इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। भारतीय औद्योगिक बैंक प्रत्यक्ष सहायता तो देती है या राज्य वित्त निगमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष सहायता प्रदान करती है।

④ **वाणिज्यक बैंकिंग** - व्यावसायिक बैंक की तरह सेवा देने के लिए इसने 1995 में बैंक की स्थापना निजी वाणिज्यक बैंक की तरह की।

⑤ **पिछड़े क्षेत्रों का विकास** - यह बैंक आर्थिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराकर उन क्षेत्रों में विकास की सम्भावनाओं का पता लगाता है तथा वित्त की व्यवस्था करता है

Scanned with CamScanner

IDBI बैंक की प्रगति

1999-2,000 में यह बैंक ने 17059.4 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया. 2001-03 और 03-04 में इनकी संख्या क्रमशः 6292 करोड़ रुपये 5473 करोड़ रुपये थी।

1 Oct 2004 से IDBI बैंक को IDBI Limited के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसके परिवर्तन कारण इसका अस्तित्व भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हो गया।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उपलब्ध वित्तीय सहायता को एक आँकड़े के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं :-

करोड़ रुपये में

वर्ष	स्वीकृत ऋण	वितरित ऋण
1980-81	1240	1,010
90-91	6250	4460
99-2000	23,713	17,063
2000-01	22418	17474
04-05	10799	6183
05-06	27442	12,984

Scanned with CamScanner

1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई। ~~इस बैंक के लघु एकक~~ को ऋण प्रदान करने का दायित्व अब लघु उद्योग विकास बैंक को हस्तान्तरित कर दिया गया।

बैंक का विकास - 1970 के बाद यह बैंक ने संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रोन्नति एवं विकास क्रियाएँ आरम्भ की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कमी राज्यों एवं पिछड़ा क्षेत्रों में औद्योगिक सम्भावना सर्वेक्षण शुरू कर दिये।

नरम उधार योजना - (Soft loan scheme) 1976 में नरम उधार योजना चालू की जिससे कुछ प्रमुख उद्योगों जैसे सिमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, चीनी उद्योगों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनवरी 1984 से नरम उधार योजना का संशोधन कर इसे आधुनिकीकरण के लिए नरम योजना कहा गया। इस योजना के अनुसार उत्पादन इकाइयों को आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करना।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भारतीय प्रतिभूति और

विनियोग बोर्ड ने व्यापारिक बैंकिंग का कार्य करने के लिए अपना सलाह दे दी। जिससे वह बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए अपनी व्यावसायिक सलाह और विशेषज्ञ उपलब्ध करा सके। इसी प्रकार वह इसे पद पर सर्वसम्मति प्राप्त करने या वर्तमान इकाइयों के विलयन या स्वामित्व हस्तांतरण (Takeover) के बारे में भी परामर्श दे सके।

बैंक का पुनर्गठन - इस बैंक की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हो जाने के कारण बहुत सी आलोचना हुई। भारत सरकार ने इस आलोचना को स्वीकार करते हुए 16 फरवरी 1976 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को रिजर्व बैंक से अलग कर दिया गया। स्वायत्त बनने के बाद यह बैंक ने प्रभावी कार्य किया। यह बैंक सावधि आधार का मुख्य स्रोत है क्योंकि इसने सभी सावधि ऋण संस्थानों द्वारा स्वीकृत कुल ऋणों का 36% और कुल वितरित ऋणों का 40% उपलब्ध कराया।

आज यह बैंक दो तरह से कार्य करता है प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराना तथा पुनर्वित्त प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराना

नरसिम्हम समिति का सुझाव है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपना प्रत्यक्ष वित्त प्रबन्ध कार्य छोड़ देना चाहिए और अन्य संस्थाओं जैसे - राज्यकीय वित्त निगमों लघु उद्योग विकास बैंक की भाँति सर्वोच्च प्रोन्नति कार्य करना चाहिए। (5)

भारत सरकार ने नरसिम्हम समिति की सलाह को स्वीकार नहीं किया लेकिन सरकार ने एक अध्यादेश लागू करके भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कानून 1964 में संशोधन कर दिया जिसका उद्देश्य बैंक की हिस्सा पूंजी का पुनर्गठन करना है और उसे पूंजी बाजार से हिस्सा पूंजी प्राप्त करने का अधिकार होगा।

इस प्रकार 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के बाद SIDBI को हस्तान्तरित कर दिया। 21वीं शताब्दी में अपने बेहतर विकास के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक महत्वपूर्ण दस्तावेज विजन, 2005 तैयार किया गया।

x

Scanned with CamScanner